(3)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/43

1. राजेश आत्मज मोरपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां हाल श्योपुरिया की बावडी बून्दी जिला बून्दी राज0
2. शोलू आत्मज मोरपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां हाल श्योपुरिया की बावडी बून्दी जिला बून्दी राज0
3. शम्भू आत्मज मोरपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां हाल श्योपुरिया की बावडी बून्दी जिला बून्दी राज0
4. बबलू आत्मज मोरपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां हाल श्योपुरिया की बावडी बून्दी जिला बून्दी राज0
5. सुनिता पुत्री मोरपाल पत्नी दुर्गालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बडगांव तहसील कोटा जिला कोटा राज0
6. गुड्डी बाई उर्फ सोनिया पुत्री मोरपाल पत्नी पन्नालाल जाति बैरवा निवासी झरबालापुरा तहसील बून्दी जिला बून्दी राज0
7. काली बाई पत्नी स्वर्गीय मोरपाल जाति बैरवा निवासी गुढादेवजी तहसील नेनवां हाल श्योपुरिया की बावडी बून्दी जिला बून्दी राज0

——अपीलांटगण

बनाम

1. ऊंकार आत्मज गंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नेनवां जिला बून्दी राज0
2. रामलाल आत्मज ऊंकार जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नेनवां जिला बून्दी राज0
3. महावीर आत्मज ऊंकार जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नेनवां जिला बून्दी राज0
4. हनुमान आत्मज ऊंकार जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नेनवां जिला बून्दी राज0
5. कल्याण आत्मज गंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नेनवां जिला बून्दी राज0
6. शिवप्रकाश आत्मज कालू जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नेनवां जिला बून्दी राज0

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

7. योगेश आत्मज लोडक्या जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नेनवां जिला बून्दी राज0
8. खेमराज आत्मज लोडक्या जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नेनवां जिला बून्दी राज0
9. सन्तोष पुत्री लोडक्या पत्नी मुकेश जाति बैरवा निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
10. सुशीला पुत्री लोडक्या पत्नी शंकरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
11. छोटी बाई पत्नी लोडक्या जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
12. नारायण आत्मज किशना जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
13. मुकेश आत्मज किशना जाति बैरवा निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
14. इन्द्रा बाई पुत्री किशना पत्नी बाबूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कैथूदा तहसील नैनवां जिला बून्दी
15. मिश्री बाई पुत्री किशना पत्नी राधाकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम नन्दगावं तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
16. गुलाब बाई पुत्री किशना पत्नी राधाकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम नन्दगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
17. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी
18. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश बून्दी जिला बून्दी राज0

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री अशोक गुप्ता अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।
3. श्री रामदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 7 लगायत 16 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 26.08.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 55/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गुढ़ादेवजी तहसील नैनवाँ में भूमि खसरा संख्या 241 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 1345 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा स्थित है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है। मूल पुरुष गंगल्या थे जिनके सात पुत्र धूला, किशना, ऊंकार, लोडक्या, कल्याण, मोरपाल, कालू उत्पन्न हुए। धूला मर चुका है जिसकी पुत्री सन्तरा उत्पन्न हुई जो भी मर चुकी है। सन्तरा ने अपना हिस्सा लोडक्या को बैचान कर दिया। किशना भी मर चुका है जिसके वारिस प्रत्यार्थीगण 12 लगायत 16 है। ऊंकार प्रत्यार्थी सं. 1 जिन्दा है। लोडक्या भी मर चुका है जिसके वारिस प्रत्यार्थीगण 7 लगायत 11 है। कल्याण प्रत्यार्थी सं. 5 जीवित है। मोरपाल मर चुका है जिसके वारिस प्रार्थीगण है। कालू के वारिस रवि, रेखा, आशा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रत्यार्थी संख्या 11 छोटी बाई को वैचान कर दिया है। जमाबंदी में दर्ज रामी का भी देहावसान हो चुका है, जिसके वारिसार प्रत्यार्थीगण 12 लगायत 16 है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसमें हिन्दू लॉ के अनुसार जन्म से ही प्रार्थीगण का हक एवं आधिपत्य स्थित है। प्रार्थीगण का हिस्सा 1/7 है इसी के अनुसार काबिज़ चले आ रहे है। भूमि का अभी तक विभाजन नही हुआ है। प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण सुविधानुसार सम्मिलित रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से काबिज़ चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने इस वर्ष गेहूं, चना, सरसों की फसल बोई व काटी है, भूमि आगामी फसल बोने के लिए हांक जोत कर तैयार कर रखी है। प्रत्यार्थीगण विभाजन से इंकार कर रहे है एवं प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 अवैध एवं अनाधिकृत रूप से सम्पूर्ण भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर भूमियों नष्ट–भ्रष्ट करने एवं बैचान करने की धमकिया गत सप्ताह से दे रहे है। प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 ने इस उद्देश्य की पूर्ति में गत सप्ताह पूर्व विवादित भूमि पर आ गये और कहने लगे कि हमने मोरपाल के हाथ का फर्जी लेख लिखा लिया है। हम तुम्हे जबरन बेदखल करके रहेंगे नही तो हमे 1,35,000/– रूपये दो। प्रार्थीगण ने कहा कि कभी भी मोरपाल ने कोई भूमि का बैचान नही किया है न ही मोरपाल को भूमि बैचान का कोई अधिकार प्राप्त था क्योंकि भूमि पुश्तैनी है। प्रार्थीगण का परिवार हमेशा आर्थिक रूप से सम्पन्न रहे है कभी भी किसी से कर्ज लेने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। मोरपाल सरकारी कर्मचारी है, यदि प्रत्यार्थीगण मोरपाल के हाथ का कोई लेख बताते है तो वह सर्वथा फर्जी एवं कूट रचित है और प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है

जिसे प्रत्यार्थीगण को कोई हक व आधिपत्य प्राप्त नही होता है। प्रार्थीगण ने बड़ी मुश्किल से प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 को वापस भेजा प्रार्थीगण बडी मुश्किल से अपना कब्जा बनाये हुऐ है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण जमाबंदी में दर्ज प्रार्थीगण के हिस्से 1/7 के अनुसार भूमि का विभाजन करवाये एवं तद्नुसार जमाबंदी नक्शा ट्रेस एवं अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करवाये एवं प्रार्थीगण को यह भी अधिकार प्रापत है कि प्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 के विरूद्ध प्राप्त करे कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 सम्पूर्ण भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा नही करे, भूमि को नष्ट–भ्रष्ट नहीं करे एवं अन्य किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के हक एवं आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं ही करे न ऐसा किसी अन्य से करवाये, भूमि का बैचान, रहन या अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करे, विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने वाद प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 प्रार्थीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा कर लेते है तो प्रत्यार्थीगण को जर्ये आदेशात्मक अस्थाई निषेधाज्ञा से बेदखल किया जाकर कब्जा वापस प्रार्थीगण को सम्भलाया जावे। यदि ऐसा नही किया गया तो प्रार्थीगण भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगें जिससे प्रार्थीगण को महान एवं अपूरणीय क्षति होगी जिसका नकद के रूप में मूल्यांकन नही हो सकेगा। प्रथम दृस्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है। सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 के विरुद्ध ता–फैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 सम्पूर्ण भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा नही करे, भूमि का बैचान रहन या अन्य प्रकार से अन्तरण नही करे, भूमि को नष्ट–भ्रष्ट नही करे एवं अन्य किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के हिस्से 1/7 के अनुसार सम्मिलित हक व आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं ही करे न ऐसा किसी अन्य से करवाये।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2025 को प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 7 लगायत 16 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तथाकथित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं विधि विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही कर विधि की भूल कारित की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–01–2025 के अवलोकन मात्र से यह प्रकट होता है कि माननीय न्यायालय ने बिना माइंड अप्लाई किये निर्णय पारित किया है। दस्तावेजो का किसी भी प्रकार से कोई अवलोकन नही किया गया। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदारान का हित रखना प्रथम दृष्टया माननीय न्यायालय का दायित्व बनता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्डेड खातेदारान के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है और अपने निर्णय के अन्दर इस तथ्य का उल्लेख किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायालय उचित नही समझता, जो अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विवेचना किये अर्थ निकाला है। रिकॉर्डेड खातेदार अपीलांटगण/प्रार्थीगण से रेस्पोडेन्ट क्रम–1 लगायत 4 जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अप्रार्थीगण ही थे, वह न तो वादग्रस्त आराजी के कभी खातेदार रहे और न कभी काबिज काश्त रहे। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण न मानकर जिस प्रकार से निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करने के लिए माननीय न्यायालय को जो तीन मुख्य बिन्दु है, उनकी विवेचना किया जाना आवश्यक होता है, जिसमें प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति। यहां पर तीनो ही बिन्दु अपीलांटगण प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित हो

रहे थे, जैसा कि प्रथम दृष्टया प्रकरण देखने के लिए प्रार्थीगण का रिकॉर्डेड खातेदार होना आवश्यक है। प्रार्थीगण रिकॉर्ड के अनुसार 1/7 हिस्से की आराजी पर रिकॉर्डेड काश्तकार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। यदि सुविधा का संतुलन भी देखा जाए, तो प्रार्थीगण को अपना वाद व प्रार्थना–पत्र साबित करने के लिए स्वयं के द्वारा वाद प्रस्तुत करना सुविधा का संतुलन के लिए आवश्यक रूप से प्रतीत होता है कि उसको असुविधा होने पर ही उसके द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया और यदि अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी देखा जाए, तो अप्रार्थीगण क्रम–1 लगायत 4 की अपेक्षा अपीलाण्टगण को अत्यधिक क्षति कारित हो रही है, यदि वादग्रस्त आराजी पर ताकत के बल पर जबरन कब्जा कर लेता है, तो अपीलाण्टगण के हित ही प्रभावित हो रहे है। ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के मुख्य तीनो बिन्दु अपीलांटगण/प्रार्थीगण के पक्ष में पूर्णतया निर्धारित थे, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विवेचना किये ही मात्र छह लाईन में जिस तरह से निर्धारण करते हुऐ निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया विधि के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत होने पर जो मुख्य बिन्दु 2 आया, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की फाईण्डिग दिये जाने हेतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय सक्षम नही है और न ही उस बिन्दु पर विचार किया जा सकता है। फिर भी बिना विवेचना किये, जिस प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है, वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यो को भी नजर अंदाज किया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है, और पैतृक आराजी में सभी का बराबर–बराबर हिस्सा निहित होता है और पैतृक आराजी को कोई भी अकेला बैचान नही कर सकता, जो राजस्व रिकॉर्ड से साबित था। वादग्रस्त आराजी अपीलाण्टगण के दादाजी की आराजी थी, जिस पर दादाजी के निधन के बाद पिता के नाम आई और पिता के निधन के बाद अपीलाण्टगण के नाम आई, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विवेचना किये ही सरसरी तौर पर अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है, जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21–01–2025 को निरस्त किए जाने तथा रेस्पोडेन्ट क्रम–1 लगायत 4 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के अपीलांटगण प्रार्थीगण के शांतीपूर्वक काबिज काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे प्रार्थीगण अपीलांटगण को उक्त आराजी से बेदखल नही करे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांटगण के पिता मोरपाल ने वादग्रस्त आराजी में निहित अपना सम्पूर्ण हिस्स रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 को दिनांक 06.07.2007 को विकय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खरीदशुदा भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी पर खरीद दिनांक से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण का कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा है। अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांटगण को उक्त बेचान दिनांक 06.09.2007 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। इकरारनामा बाबत बैचान दिनांक 06.09.2007 पर अपीलांट काली बाई की सहमति स्वरूप अंगूठा निसानी अंकित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण की जानकारी के निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। चूंकि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खरीदशुदा एवं कब्जे काश्त की भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलांटगण ने हस्तगत अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में झूठै व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 , 7 लगायत 16 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन किया तथा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां की खसरा संख्या 241 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 1345 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण अपीलांटगण को बेदखल नहीं करने तथा वादग्रस्त भूमि बैचान, रहन व अन्य प्रकार से हस्तांतरण नहीं करने बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांटगण मोरपाल के वारिसान है। अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनके स्वर्गीय पिता मोरपाल की खातेदारी की भूमि होने के कारण अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही हक अधिकार निहित है। अधीनस्थ

न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2039 से 2042 के अनुसार ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां की खाता संख्या 80 में दर्ज खसरा नम्बर 241 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि गंगलिया वल्द हरदेव की खातेदारी में दर्ज है तथा इसी जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 407 दिनांक 07.01.1985 से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में धुल्या, ऊंकार, किशना, कल्याण, लोड्या, मोरपाल, कालू पि0 गंगलिया का नाम दर्ज होने का अंकन है। वादग्रस्त आराजी मोरपाल एवं अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा अपीलांगण खातेदार मोरपाल के वारिसान है तथा रेस्पोडेन्टगण अन्य सहखातेदार गंगल्या, ऊंकार, लोडक्या, किशना के वारिसान है। अतः वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलांटगण के पिता मोरपाल द्वारा अपने निहित हिस्से को दिनांक 06.09.2007 को बेचान किया जा चुका है तथा उक्त बेचानशुदा आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपने कथन के समर्थन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा 50 रूपये के स्टॉम्प पर अंकित बेचान नामा तहरीर पेश की है। उक्त बेचान नामा तहरीर एक अपंजीकृत दस्तावेज है जिस पर दिनांक 06.09.2007 अंकित है। हमारे मत में प्रश्गनत बेचान नामा तहरीर दिनांक 06.09.2007 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योपरांत ही किया जा सकता है। वर्तमान स्तर पर प्रश्नगत अपंजीकृत बेचान नामा तहरीर दिनांक 06.09.2007 के आधार पर खातेदार मोरपाल के नाम दर्ज भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक अधिकारों का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। जहां तक वादग्रस्त भूमि में कब्जे काश्त का प्रश्न है, उभयपक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि में कब्जे काश्त के समर्थन में अलग अलग कथन किए गए है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का कथन है कि तथाकथित बेचान नामा तहरीर के आधार पर मोरपाल के खाते दर्ज रही वादग्रस्त आराजी पर केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही कब्जा काश्त है। हमारे मत में तथाकथित बेचान नामा तहरीर दिनांक 06.09.2007 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद का विषय है अतः प्रकरण के वर्तमान स्तर पर उक्त तहरीर दिनांक 06.09.2007 के आधार पर मोरपाल के खाते की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उक्त तहरीर दिनांक 06.09.2007 मोरपाल के खाते की भूमि पर केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त होने के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। अपीलांटगण का कथन है कि वे अपने पिता मोरपाल के खाते दर्ज भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांटगण ने स्वयं का कब्जा काश्त होने के समर्थन में प्रश्गनत खसरा नम्बर 241 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 1345 रकबा 2.13 हैक्टेयर भूमि की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074 की फोटोप्रति पेश की है जिसमें के खातेदार के कॉलम संख्या 5 में अपीलांटगण का नाम तथा हिस्सा 1/7 अंकित है तथा फसल के नाम के कॉलम संख्या 8 में फसल अंकित है। अतः खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074 के अनुसार अपीलाटंगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होना प्रथम दृष्ट्या प्रकट होता है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित सहखातेदार है। कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने की स्थिति

में खातेदारी की भूमि पर अभिलिखित खातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांटगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.01.2025 में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किए जाने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपीलांटगण के हक हिस्से की भूमि तक रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 55/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम गुढ़ादेवजी तहसील नैनवां की खसरा संख्या 241 रकबा 11.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1345 रकबा 2.13 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपीलांटगण के 1/7 हिस्से में अपीलांटगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावें तथा अपीलांटगण के हक हिस्से की भूमि का दीगर को बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करें

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/8/25

(मुरलीधर प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा